फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

हरसहाय बनाम सरकार वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : 127/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात को अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि ग्राम रतनपुराहरिपुरा के गत खसरा नम्बर 494 के नवीन खसरा नम्बर 485 एवं गत खसरा नम्बर 486 के नवीन खसरा नम्बर 474 को पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त एवं गत नक्शें के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नक्शा कायम किया जावें। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 474 का रकबा पूर्वानुसार ही है एवं जमाबन्दी के अनुसार सही है। मिन अप्रार्थी का रकबा नही बढाया गया है और मिनअप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 474 में प्रार्थी की भूमि को शामिल नही किया गया है। जिसकी कियान्विती को रोकने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। नक्शा मिनअप्रार्थी का पूर्व नक्शें के अनुसार ही है जिसमे कोई रकबा ना तो बढाया गया है और ना ही घटाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र बेवजह पेश किया गया है। मिनअप्रार्थी द्वारा विधिक रूप से पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर पत्थरगढी करवा ली गई है परन्तु प्रार्थी की मंशा मिनअप्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की है। इस लिए मिनअप्रार्थी को नाजायज रूप से परेशान करता रहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण तथा मिनअप्रार्थी को परेशान करने के कारण पेश करने एवं वाद बहुल्यता को बढाया देने के लिए पेश किया गया होने के कारण खारिज किया जाने की कृपा करें। पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि साबिक नम्बर 494 व नवीन खसरा नम्बर 485 का पूर्व नक्शा व हाल नक्शें से मिलान किया गया व नवीन खसरा नम्बर 474 व 485 के मध्य की सीमा को चैक किया गया। मिलान किया गया जो कि खसरा नम्बर 474 की दक्षिण दिशा में अंकित है। मिलान करने पर खसरा नम्बर 485 की सीमा में खसरा नम्बर 474 बढा हुआ नही है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 485 का रकबा भी पुराने नक्शे के अनुसार पूरा है। खसरा नम्बर 485 का रकबा पुराने नक्शें अनुसार सही है रकबे मे कमी पेसी नही है। अतः वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा0 पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भूराजस्व अधि0 को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	